

# हरिजनसेवक

दो आना

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाभी प्रभुदास देसायी

अंक १०

मुद्रक और प्रकाशक

जीवणजी डाह्याभायी देसायी  
नवजीवन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० ९ मअी, १९५३

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६  
विदेशमें रु० ८; शि० १४

## हमारा अनोखा मिशन

[चांडिल सर्वोदय-सम्मेलनमें ता० ७-३-५३ को दिये गये विनोबाजीके पहले दिनके भाषणकी दूसरी किस्त।]

२

### हमारा असली काम और उसकी दृष्टि

में दूसरी मिसाल दूं। अभी खादो-बोर्ड बन रहा है। सरकार खादीको मदद देना चाहती है। पंडित नेहरूने कहा, 'मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो काम चार साल पहले हो जाना चाहिये था, वह अितनी देरीसे क्यों हो रहा है?' वे महान हैं। उनका दिल महान है। वे आत्मनिरोक्षण करते हैं और इस तरहका भाषा बोलते हैं। अब हमारा काम है, चरखा-संघका काम है कि सरकार खादोको बढ़ावा देना चाहती है, खादाका उत्पादन बढ़ाना चाहती है, तो उसको कुछ मदद दें; क्योंकि चरखा-संघको जिस कामका अनुभव है और अनुभवियोंकी मदद उसे कामके लिये जरूरी है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अंक नागरिकके नाते और अंक माहिरके नाते अपनी सरकारको जो मदद देना जरूरी है, वह देना चाहिये। लेकिन अगर हम उसमें खतम हो जायं, समाप्त हो जायं, तो हमने खादीकी वह सेवा नहीं की, जैसी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादाके बारेमें अपनी दृष्टि स्पष्ट और शुद्ध रखनी चाहिये और उस दिशामें काम करते हुये सरकारको खादो-उत्पादनमें जो मदद पहुंचानी चाहिये, वह पहुंचाना चाहिये। हमें युद्ध मिशनके तरीके ढूँढने चाहिये। और तिस पर भी युद्ध चले, और हमें जश्मी सिपाहियोंको मददमें जाना पड़े तो जाना चाहिये। यह तो युद्धका हिस्सा ही है, ऐसा कह कर उसका अिनकार करेंगे ऐसा बात नहीं, पर ध्यानमें रखेंगे कि वह हमारा असली काम नहीं है। हमारा खादो-काम ग्राम-राज्यकी स्थापनाके लिये हो सकता है।

### खादी-काममें सरकारी सहयोगकी मर्यादा

जिस मर्तबा पंडित नेहरू मिलने आये और बड़े प्रेमसे बोले। मैंने नम्रतासे उनका बहुत कुछ सुन लिया। और फिर जब उन्होंने कुछ सलाह-मशविरा करना चाहा, तो मैंने अपने विचार थोड़ेमें प्रकट कर दिये। मैंने कहा कि खादीके लिये और ग्रामोद्योगके लिये भी सरकारकी तरफसे अगर मैं कोअी चीज चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा कि जैसे हरअेक नागरिकको पढ़ना-लिखना आना ही चाहिये, क्योंकि नागरिकत्वका वह अंश है, अनिवार्य अंश है, ऐसा हम मानते हैं और इसलिये हमारी सरकार सबको शिक्षित बनानेकी, पढ़ना-लिखना सिखानेकी जिम्मेवारी महसूस करती है, मान्य करती है। चाहे उस पर वह पूरा अमल न करने पाये; परिस्थितिके कारण आंशिक अमल करे, लेकिन जब तक

उसका पूरा अमल नहीं हुआ है, सारेके सारे लोग पढ़ना-लिखना नहीं जान गये हैं, तब तक हमने अपना पूरा काम नहीं किया, जिस तरहका खटका दिलमें बना रहेगा। वैसे हा हमारी सरकार यह माने, यह विचार कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरअेक ग्रामाणको, हरअेक नागरिकको सूत कातना सिखाना चाहिये। जो ग्रामाण, जो नागरिक सूत कातना नहीं जानते, वे अशिक्षित हैं, अितना माने और बाकाका सब काम जनता करे। हम सरकारसे पैसेकी मदद नहीं मांगें, परन्तु यह विचार अगर वह स्वाकार करती है, तो उससे हमें अधिकस अधिक मदद मिलता है। तो यह सब अुन्होंने सुन लिया। मैं समझता हूँ कि उनके हृदयको तो वह अंचा हा हांगा, पर सहज विनादमे अुन्होंने पूछा कि सूत कातना अगर सबको सिखा दें, तो उसके अुपयोगका सवाल आयगा। तो मैंने जवाब दिया कि पढ़ना-लिखना सिखाने पर भी तो उसके अुपयोगका सवाल रहता हा है। मैंने उसे कअी पढ़-लिखे भाआ. देख हैं, जो थोड़ासा दा-चार साल पढ़ और उसका अुनकी जिन्दगामें कभी कोअी अुपयोग नहा हुआ। अुनके लिये काला अक्षर भेंस बराबर होता है। 'योग'के साथ 'क्षम' लगा है। यह चिंता करनी पड़ता है। पर आप देखेंगे कि मैंने खादोके लिये सिर्फ अितनी ही मांग की है। जबकि जनताकी सरकार है और जनताकी तरफसे यह मांग होगी, तो सरकारको अुतना करना चाहिये। परन्तु जिससे अधिक लोगों पर खादो लादनेकी बात अगर कानूनसे होगी, यानी मैं अंसी मांग करूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने अपना काम समझा नहीं है। दंड-शक्तिसे भिन्न हमें लोकशक्ति निर्माण करनी है, यह सूत्र मैं भूल गया हूँ।

### दंड-निरपेक्षताका निर्माण

ये दो मिसालें सहज दीं, अंक खादीकी और दूसरी भूमिदानकी। हम भूमिका मसला हल करने जायेंगे तो हमारा अंक तरीका होगा। और लोकशाही सरकार अगर वह हल करना चाहेगी, और दंड-शक्तिका अुपयोग करके उसे करना चाहेगी और करेगी, तो उसको कोअी दोष नहीं देगा। लेकिन उसका दूसरा मार्ग है। सरकारकी जिस तरहकी मददसे जनशक्ति निर्माण नहीं होगी, लक्ष्मी भले ही निर्माण हो। हमारा अुद्देश्य सिर्फ लक्ष्मी निर्माण करना नहीं, बल्कि जनशक्ति निर्माण करना होगा। यह सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे है। अब यह दृष्टि हमारी स्थिर हो जाय, तो फिर हमारी कार्यपद्धति क्या होगी, जिसका विशेष वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी। हर कोअी सोचेगा कि हरअेक रचनात्मक काम करनेमें हमारी अंक विशेष पद्धति होगी। जिस पद्धतिसे काम करनेसे आखिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि लोगोंमें दंड-निरपेक्षता निर्माण हो।

### कार्य-पद्धतिके दो अंश

जिस दृष्टिसे यदि सोचेंगे तो सहज ही ध्यानमें आयेगा कि हमारी कार्य-पद्धतिके दो अंश होंगे। एक अंश होगा विचार-शासन और दूसरा अंश होगा कर्तृत्व-विभाजन। मुझे जरा शास्त्रीय शब्द बनानेकी आदत है, और क्योंकि संस्कृत भाषा ही में विशेष जानता हूँ, जिसलिये संस्कृत शब्द आ जाते हैं। तो आप जरा मुझे क्षमा करेंगे।

### सर्वोदय-समाजकी आधार-शिला

विचार-शासन यानी विचार समझाना और विचार समझाना, बिना विचार समझे किसी बातको कबूल न करना, बिना विचार समझे अगर कोई हमारी बात कबूल करता है तो दुःखी होना, अपनी बिच्छा दूसरों पर न लादना, बल्कि केवल विचार समझा करके ही सन्तुष्ट रहना। हमारा सर्वोदय-समाजकी योजनामें हमने जो रचना का है, उसकी कुछ लोग "लूख ऑगनाथिजेशन" यानी "शिथिल रचना" कहते हैं। रचनाको अगर हम शिथिल करें, तो कोई काम नहीं बनेगा। जिस वास्ते रचना शिथिल नही होनी चाहिये। पर यह 'शिथिल रचना' न होते हुए 'अरचना' है, यानी केवल विचारके आधार पर हम खंड रहना चाहते हैं। हम किसीको आदेश नहीं देते, जिसे वे बिना समझ-बूझ ही अमलमें लायें। हम किसीका आदेश कबूल नहीं करते, जिसका कि बिना सोचे और बिना पसन्द किये हम अमल करते जायें। बल्कि हम तो सलाह-मशविरा करते हैं। कुरानमें भक्तोंका लक्षण गाया गया है कि उनका वह 'अम्र' यानी काम परस्परके सलाह-मशविरा होता है। तो हम मशविरा करेंगे और बहुत खुश होंगे कि हमारा चांच हमारे सुननवालेने, जब कि उसकी पसन्द नही आया था, मान्य नही का और उस पर अमल नही किया। उसके अमल न करनेसे हमें बहुत खुशा होगा। और बिना समझ-बूझ अगर अमल करता है, तो हमें बहुत दुःख होगा। यह जो रचना है उसमें मैं जितना ताकत देखता हूँ, अतना और किसी कुशल रचनामें, स्पष्ट रचनामें और अनुशासनबद्ध रचनामें नहीं देखता। अनुशासनबद्ध दण्ड-युक्त रचनामें शक्ति नही होती सो बात नहीं। पर वह शक्ति नहीं होता, जो शिव शक्ति है और जो हमें पैदा करनी है। वह शक्ति दूसरी शक्ति है। हमारे खयालसे वह शक्ति नहीं है, जिसलिये विचार-शासनको हम मानना चाहते हैं। अगर यह ध्यानमें आयेगा, तो विचारका निरंतर प्रचार करना हमारा एक कार्यक्रम बनेगा, जो हम नहीं कर रहे हैं और जो हमें करना चाहिये।

### विचार, विचार और विचार

जब मैं जिस दृष्टिसे सोचता हूँ, तो बुद्ध भगवान्ने भिक्षु-संघ क्यों बनाये होंगे और शंकराचार्यने यति-संघ क्यों बनाये होंगे, जिसका रहस्य खुल जाता है। तिस पर भी अजुन संघोंके जो अनुभव आये हैं, उनके गुण-दोषोंकी तुलना करके मैंने अपने मनमें यह निर्णय किया है कि हम ऐसे संघ नहीं बनायेंगे, क्योंकि उनके गुणोंसे उनके दोष अधिक होते हैं। यह अनुभव आया है, जिसलिये हम संघ तो नहीं बनायेंगे, पर उनको क्यों बनाने पड़े, जिसका खयाल उससे आ जाता है। निरंतर, अखंड बहते हुए झरनेकी तरह सतत घूमनेवाले और लोगोंके पास सतत विचार पहुंचानेवाले लोग होने चाहिये। उसके बगैर सर्वोदय-समाज काम नहीं कर पायेगा। लोगोंके पास पहुंचनेके जितने मौके मिलें, अतने प्राप्त करने चाहिये। लोग एक बार क्रुहने पर नहीं सुनते हैं, तो दुबारा कहनेका मौका आने पर हमें खुशी होनी चाहिये।

जितना विचार-प्रचारका अुत्साह और जितनी विचार पर श्रद्धा, विचार-निष्ठा हममें होनी चाहिये। लेकिन हमारी हालत यह है कि हममें से बहुतसे लोग भिन्न-भिन्न संस्थाओंमें गिरपतार हो गये हैं। जिसका थोड़ा जिक्र बादमें करूंगा, सिर्फ अभी अुत्लेख मात्र किया है। यद्यपि वे संस्थायें महत्त्वकी हैं, तो भी हमें संस्थाओंकी आसक्ति न हो, भक्ति रहे और उनका काम जारी रखें। लेकिन संस्थामें कुछ मनुष्य ऐसे हों, जो सदा घूमते रहें। जिस तरहकी रचना गीर ऐसा कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन नहीं चलेगा।

### पत्रकसे पत्रक ही पैदा होते हैं

बिहारके लोग कुछ अभिमानसे कहते हैं और अुन्हें अभिमान करनेका हक भी है कि भूदान-यज्ञका काम बिहारकी कांग्रेसने प्रथम अुठाया और उसके बाद हैदराबादमें अ० भा० कांग्रेसने उसको स्वीकार किया। तो होता क्या है? अपरसे एक 'सरक्यूलर' (पत्रक) आता है — "भूदानमें मदद देना कांग्रेसवालोंका कर्तव्य है।" गंगा हिमालयसे गिरती है और हरिद्वार आती है। तो वहांका पत्रक प्रांतिक समितिमें आता है। और हिमालयसे गंगा हरिद्वार आने पर आगे बहती है और गढ़मुक्तेश्वर जाती है। यह पत्रक भी प्रांतिक समितिसे जिला ऑफिसमें जाता है। गंगा वहांसे कहां भी जाय, पर वह पानी ही रहती है, गंगा ही रहती है। उसी तरह पत्रकमें से पत्रक ही पैदा होते हैं। मैंने विनोदके तौर पर एक दफा कहा था कि हरएक जाति अपनी ही जातिको पैदा करती है। वैसे ही पत्रक भी पत्रक ही पैदा कर सकता है। आखिर काम कौन करेगा? काम तो करना होगा ग्रामके लोगोंको, लेकिन ग्रामके लोगों तक वह पहुंचता कहां है? वह तो एक ऑफिससे दूसरी ऑफिसमें जाता है, वहांसे तीसरी ऑफिसमें जाता है, सिर्फ अितना ही होता है। यह जो भूदान-यज्ञका हमारा कार्यक्रम है, वह तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि हम घर-घर नहीं पहुंचेंगे। पांच लाख देहातसे पच्चीस लाख अेकड़ जमीन हम हासिल करना चाहते हैं। यों तो आसान काम दीखता है। फी गांव पांच अेकड़ कोअी बड़ी बात नहीं। लेकिन अुतने गांवों तक पहुंचे कौन? जिसलिये हमारे पास मुख्य साधन विचार-प्रचारका ही हो सकता है। उसकी योजना हमें करनी चाहिये, यह हमारा कार्यक्रम होगा।

### हमारा एक औजार विचार-शासन

अगर ऐसा करनेकी हमारी हिम्मत नहीं होती है, अितने गांवोंमें हम कैसे जायेंगे, कैसे घूमेंगे, ऐसा हमें लगता हो और जिसको 'छोटा काट' — अंग्रेजीमें 'शॉर्ट कट' — कहते हैं वह हम चाहते हों, यानी यह चाहते हों कि कानून बने, फलाना बने, तो यह बनाना और वैसी बिच्छा रखना हमारा काम नहीं है। कानून बने, जरूर बने, जल्द बने और अच्छा बने; पर उस काममें हम लगेंगे तो परधर्मका आचरण करेंगे, स्वधर्मका नहीं। हमारा स्वधर्म है कि हम गांव-गांव घूमना शुरू करें और विचार पर विश्वास रखें। यह न कहें कि 'अरे, विचार सुनने-सुनानेसे कब काम होगा?' विचारसे ही काम होगा, क्योंकि हमारा काम विचारसे ही हो सकता है। तो यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन हमारा एक औजार है।

### कर्तृत्व और सत्ताका विभाजन

और दूसरा औजार है, कर्तृत्व-विभाजन। सारा कर्तृत्व, सारी कर्म-शक्ति एक केन्द्रमें केन्द्रित नहीं होनी चाहिये, बल्कि गांव-गांवमें कर्म-शक्ति, कर्म-सत्ता निर्माण होनी चाहिये। जिसलिये

हम चाहते हैं कि हरअक गांवको यह हक हो कि वहां कौनसी चीज आये और कौनसी चीज न आये, जिसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कोअी गांव चाहता है कि हमारे यहां कोलू चले और मिलका तेल न आये, यानी मिलका तेल आनेसे रोकें, तो उसे रोकनेका हक होना चाहिये। जब हम यह बात करते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि इस तरह अक बड़ी स्टेटके अन्दर अक छोटी स्टेट नहीं चल सकती। तो मैं कहता हूँ कि सत्ताका विभाजन अगर हम नहीं करेंगे, कर्तृत्वका विभाजन नहीं करेंगे तो सेना-बल अनिवार्य है, यह समझ लीजिये। तो फिर सेनाके बगैर आज तो चलेगा ही नहीं, और कभी भी नहीं चलेगा। फिर कायमके लिये यह तय कीजिये कि सेना-बलसे काम लेना है और सेना सुसज्ज रखनी है। फिर यह न बोलिये कि हम सेनासे कभी-न-कभी छुटकारा चाहते हैं। अगर कभी-न-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हैं, तो जसा परमेश्वरने किया है, वैसा हमको करना चाहिये। परमेश्वरने अकलका विभाजन कर दिया। हरअकको अकल दे दी — बिच्छूको भी दी, सांपको भी दी, शेरको भी दी, मनुष्यको भी दी। कर्मवशी सही, लेकिन हरअकको अकल दे दी और कहा कि अपने जीवनका काम अपनी अकलके आधारसे करो। और तब सारी दुनिया अितनी अुत्तम चलने लगी कि वह विश्वांति ले सकता है और यहां तक कि लोगोंको शंका भी होती है कि परमेश्वर है या नहीं। हमको राज्य अैसा ही चलाना होगा जिससे शंका आ जाय कि कोअी राज्य-सत्ता है या नहीं। हिन्दुस्तानमें शायद राज्य-सत्ता नहीं है अैसा भी लोग कहें, तब हमारा राज्य-शासन अहिसक होगा। इसलिये हम ग्राम-राज्यका अुद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राममें नियंत्रणकी सत्ता हो। अर्थात् ग्रामवाले नियंत्रणकी सत्ता अपने हाथमें लें। यह भी अेक जनशक्तिका प्रश्न आया कि गांववाले खुद खड़े हो जायं, निर्णय करें कि फलानी चीज हमको पैदा करनी है। और सरकारके पास मांग करें कि फलाना माल यहां नहीं आना चाहिये, अुसको रोकिये। वह अगर नहीं रोकती है, यानी रोक नहीं सकती, रोकना चाहती है तो भी मान लीजिये कि रोक नहीं सकती, तो अुसके विरोधमें खड़े होनेकी हिम्मत करनी होगी। और अुससे अुस सरकारको अत्यन्त मदद पहुंचेगी, क्योंकि अुसीसे सैन्य-बलका छेद होगा। अुसके बगैर सैन्य-बलका कभी छेद नहीं हो सकता। यह बात कभी नहीं हो सकती कि दिल्लीमें कोअी अैसी अकल पैदा हो जाय, चाहे वह ब्रह्मदेवकी अकल हो, जिसको चार दिमाग हैं और जो चारों दिशाओंमें देख सकता है। कितनी ही बड़ी अकल हो, यह ही नहीं सकता कि हरअक गांवके सारे कारोबारका नियंत्रण और निशोजन वहांसे हो और वह साराका सारा सबके लिये लाभदायी हो। इस वास्ते 'नेशनल प्लैनिंग' के बजाय 'विलेज प्लैनिंग' होना चाहिये। 'बजाय' मैंने कह दिया। बेहतर तो यह कहना होगा कि नेशनल प्लैनिंगका ही अर्थ विलेज प्लैनिंग होना चाहिये। और अुस विलेज प्लैनिंगकी मददके लिये जो कुछ करना पड़ेगा, अुतना दिल्लीमें किया जायगा। तो यह है हमारे कार्यक्रमका अेक दूसरा अंश। अेक तो पहले बताया था विचार-शासन और यह बताया कर्तृत्व-विभाजन। तो हम जो कुछ करते हैं, वह सारा कर्तृत्व-विभाजनकी दिशामें करना चाहते हैं। इसलिये हम गांवोंमें जमीनका बंटवारा करना चाहते हैं।

राष्ट्रकी महान संपत्ति हम खो नहीं सकते

जमीनके बारेमें जब कभी सवाल पैदा होता है, तो लोग यही कहते हैं कि 'सीलिंग' बनाओ, अधिक-से-अधिक जमीन कितनी

रखी जाय, यह सोचो। जब कि यह भूदान-यज्ञका आन्दोलन जोर पकड़ रहा है और जनतामें अेक भावना पैदा हो रही है, तब यह बात बोली जा रही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले तो कम-से-कम जमीन हरअकको कितनी देना है, यह तय करो। यह मैं क्यों कह रहा हूँ? इस वास्ते कह रहा हूँ कि मैं कर्तृत्व-विभाजन चाहता हूँ। जितने भी मजदूर हैं, वे सारे आज दूसरोंके हाथमें काम करते हैं। काम तो वे करते हैं, लेकिन अुनमें कर्तृत्व नहीं है। गाड़ी भी चलती है, लेकिन गाड़ीको हम कर्ता नहीं कहते, क्योंकि वह चेतनविहीन है। तो ये जो मजदूर खेतोंमें काम करते हैं, वे चेतनविहीन जैसा काम करते हैं। हाथोंसे काम करते हैं, पावोंसे काम करते हैं। लेकिन अुनके दिमागसे, अुनके दिलसे यह काम हो, अैसा हम चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तानके मजदूरोंमें अुतनी अकल नहीं है इसलिये अुनका दूसरोंके हाथमें रहना ही बेहतर है। तो मैं कहता हूँ कि यह अहिसाका तरीका नहीं है। अुनमें जो अकल है अुसका परित्याग कर दें, तो दूसरी कोअी अकल, दूसरा कोअी खजाना हमारे पास नहीं है।

माना कि अेक मजदूरकी अकलसे किसी पूजीवाले भाजीकी अकल ज्यादा है। लेकिन कुल मिलाकर देशमें मजदूरोंकी जो अकल है, अुस अकलकी बराबरी दूसरी कोअी अकल नहीं कर सकती और अुस अकलका अगर हमको अुपयोग न मिले तो हमारा देश बहुत खो देता है। इस वास्ते जरूरी है कि मजदूरोंकी अकलका, जैसी भी वह आज है, पूरा अुपयोग हो। अुसके साथ-साथ अुनकी अकल बढ़े, अैसी भी योजना चाहिये और अुनकी अकल बढ़ानेकी जो भी योजना करेंगे, अुसमें यह भी अेक योजना होगी कि अुनको जमीन दी जाय। अलावा अुसके कि हम अुनको और तालीम दें, अुनके हाथमें जमीन देना भी अेक तालीमका ही अंग होगा और अुनकी अकल बढ़ानेका भी वह अेक साधन होगा।

तो यह है कर्तृत्व-विभाजन और अुस दिशामें हम जो सींचते हैं। हमारे कार्यक्रमके जो दो पहलू हैं, वह मैंने बताये और अुन पहलुओंके मूलमें जो भूमिका है, वह भी बतायी। तो कार्य-पद्धतिके बारेमें कुछ कहा और अुसके बाद कार्य-विभाजन किस तरह करना चाहिये, कार्यक्रम क्या होना चाहिये, अुसके बारेमें भी थोड़ासा कहा। अब हम कार्य-रचना पर आते हैं। अुसके बारेमें भी थोड़ेसे विचार बता दूं।

(अपूर्ण)

### स्मरण-यात्रा

[बचपनके कुछ संस्मरण]

फाका कालेलकर

कीमत ३-८-०

डाकखर्च १-०-०

### शराबबन्दी क्यों?

भारतन् कुमारप्पा

कीमत ०-१०-०

डाकखर्च ०-५-०

### लोक-जीवन

फाका कालेलकर

यह मराठी पुस्तक 'हिंडलग्याचा प्रसाद' नामक पहले छपी हुई पुस्तकका संक्षिप्त संस्करण है। इसमें लेखकने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक वगैरा अनेक आधुनिक प्रश्नोंकी सर्वथा नयी दृष्टिसे चर्चा की है।

कीमत १-४-०

डाकखर्च ०-६-०

नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९

# हरिजनसेवक

९ मजी

१९५३

## आंध्र और शराबबन्दी

'आंध्रका नया राज्य' शीर्षक लेखमें (देखिये 'हरिजनसेवक', १८-४-५३) मैंने यह सुझाव पेश किया था कि मद्रास राज्यसे अलग हो जाने पर भी आंध्रको शराबबन्दीकी नीति नहीं छोड़ना चाहिये और कहा था कि न्यायमूर्ति वांचूको अपनी रिपोर्टमें यह सवाल छेड़ना ही नहीं चाहिये था। मद्रासके 'अिण्डियन रिपब्लिक' पत्रने अपने २२ अप्रैल, १९५३ के अंकमें अपने सम्पादकीयमें मेरी जिस सूचना पर आक्षेप किया है। मुझे अभी भी अँसा ही लगता है कि अगर न्यायमूर्ति वांचूने अपनी रिपोर्टमें जिस नये राज्यकी आयका सवाल जिस तरह उठाया है, उसी तरह उठाना था, तो उनको समझमें यह आना चाहिये था कि शराबबन्दीकी हमारी राष्ट्रीय नीति अर्थ, कानून और राज्यकी रुपया-पैसा-सम्बन्धी सभी दृष्टियोंसे बुद्धिमत्तापूर्ण है। और मैं मानता हूँ कि जहाँ तक शराबबन्दीकी नीतिका सवाल है, कम-से-कम वहाँ तक तो आंध्रको अपने जनक-राज्यकी ही नीति पर आरुढ़ रहना चाहिये। शराबबन्दीके सम्बन्धमें हमारे संविधानका राष्ट्रीय आदेश आखिर उसके लिये भी है, और उसे तो अपना सौभाग्य मानना चाहिये कि मद्य और मादक द्रव्योंकी बन्दीकी कोशिश उसे नये सिरेसे नहीं करना पड़ रही है, की हुजी मिली है, तथा वह जिस सुयोगका लाभ जिस कोशिशको सही दिशामें और आगे बढ़ानेमें कर सकता है।

अनुक्त अखबारन जिस नीतिकी बुद्धिमत्ताके विषयमें भी आक्षेप उठाया है, आश्चर्यकी बात तो यह है कि यह आक्षेप, जिसे यह पत्र 'शराबबन्दीका नैतिक पहलू' कहता है, उसके आधार पर उठाया गया है। उसके अनुसार यह नैतिक पहलू जिस प्रकार है:

"पहली बात तो यह है कि जिस नीतिकी अनिवार्यताका मन पर हानिकर प्रभाव होता है। (किसके मन पर? — सं०) किसी भी तरहकी अनिवार्यताके खिलाफ लोगोंके मनमें जो स्वाभाविक नफरत होती है — वह और लोगोंके बरतावमें उससे पैदा होनेवाली लुकाव-छिपावकी आदत जनताके नैतिक सामर्थ्यका नाश करती है।"

जिस अखबारके अनुसार शराबबन्दीका सिर्फ नैतिक ही नहीं, बौद्धिक पहलू भी है। उसका वर्णन जिन शब्दोंमें किया गया है:

"भारतमें अधिकांश जनता अपढ़ और अज्ञान है। उसका बौद्धिक स्तर बहुत नीचा है। (क्या सचमुच अँसा है? यह अखबार जिस तरह बहस करता है, उस तरह बहस करनेकी पंडिताजी चाहे उनमें न ही, लेकिन जिसे तो ज्ञानवान होना नहीं कहते। — सं०) शराबबन्दीके मूलमें जो नैतिक या सामाजिक सिद्धान्त हैं, उन्हें समझना कठिन है। जिसलिये जरूरत लोगोंकी बौद्धिक समझका स्तर अपूर उठानेकी है।"

जिसी तरह आगे यह अखबार शराबबन्दीकी आरोग्य-सम्बन्धी बाजूकी बात भी करता है:

"दूसरो जरूरत लोगोंका आरोग्य सुधारनेकी है। यह तो सब लोग स्वीकार करेंगे ही कि हमारी जनताके स्वास्थ्यका स्तर बहुत नीचा है। अगर जिन सारी चीजोंमें ठीक सुधार

हो जाय, तो लोग खुद शराबकी बुराजी समझ लेंगे और उससे दूर रहेंगे।"

अँसी दिखाऊ दलीलोंके आधार पर अन्तमें अखबार अपने कथनका अपुसंहार करते हुए कहता है:

"राज्यको अपनी सारी साधन-सामग्री अिकट्टी करना चाहिये। (क्या शराबका नशा और जिस अभिशापका जो फल आता है, वह राज्यके लिये साधन-सामग्री-रूप होता है? — सं०) उसे आर्थिक दृष्टिसे सशक्त बनना चाहिये और शिक्षा, डॉक्टरी मदद, रहनेके लिये घर आदिकी व्यवस्था करके लोगोंका जीवन-मान अपूर उठाकर ही सामान्य क्रममें शराबकी बुराजी रोकनेका प्रयत्न करना चाहिये। शिक्षासे बौद्धिक शक्ति बढ़ेगी और उसके द्वारा ही यह सुधार सिद्ध होगा।"

सार्वजनिक धन खर्च करके लोगोंको शराब और दूसरे मादक द्रव्य देकर और जिस तरह उनको नैतिक, बौद्धिक और आर्थिक बरवादी करके उनको दशा सुधारने और उनको समझका स्तर अँचा उठानेका यह बढ़िया अपुपाय है! शिक्षासे जिस बौद्धिक शक्तिके बढ़नेकी अपेक्षा है, वह क्या यही है? असली बात यह है कि हमारी मौजूदा समाज-व्यवस्थामें शिक्षा, आरोग्य तथा समाज-कल्याणके अँसे ही अन्य कामोंके नाम पर आज जो कुछ चल रहा है, उससे लाभ उठानेवाले मध्यम और अपूरके वर्गके लोग यह चाहते हैं कि जिन कामोंके लिये पैसा शराब-गांजा-कमाओमें से ही खींचा जाय। सच पूछो तो यह चोरी ही है, और जिस तरह चोरीसे पाया हुआ यह पैसा अपूरके वर्गोंके हितमें खर्च होता है। रिश्वतखोरी और गैरकानूनी शराब आदिका काल्पनिक डर तो जिन वर्गोंके ही दिमागकी अपुज है, और उसमें उनका मतलब मनके पापको छिपाकर सज्जनताका स्वांग रचना है। अन्यथा आम जनताको जिसका सहज बोध और अनुभव है कि शराबबन्दी अँहें गांधीजीका दिया हुआ बड़ा वरदान है। तो हम समय रहते सावधान हो जायं, नहीं तो वह दिन आ रहा है जब गरीब जनता बहुत नाराजीके साथ यह समझेगी कि अपूरले वर्गके बुद्धिवादी शराबबन्दीका विरोध जिसलिये करते हैं कि अँहें गरीबोंसे अपने लाभके लिये पैसा मिलता रहे। यदि भारतमें राज्य अँवृत्तिकी ओर बढ़ना चाहता है, और उसे बढ़ना चाहिये, तथा यदि वह गरीबों और दलितोंका हित करना चाहता है, तो उसे अँसी मिथ्या दलीलोंके फेरमें नहीं पड़ना चाहिये जैसी कि जिस अखबारने की है। हमें यह समझ लेना चाहिये कि 'शराबकी आय', यह एक निरर्थक और भुलावेमें डालनेवाला शब्दप्रयोग है। जैसा कि आन्तरराष्ट्रीय मद्य-निषेधक संघके दक्षिणी अेशिया विभागके अध्यक्ष मि० रॉबर्ट पियर्सनने ऑल इंडिया रेडियोके बम्बई स्टेशनसे बोलते हुए कहा था, "शराबके व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरवादी होती है, उसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आय नगण्य-सी है।... शराबसे होनेवाली आमदनीका लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्तानके मुसाफिरोंका मजाक भयंकर है।" उनका यह भाषण जिसी अंकमें अन्यत्र दिया जा रहा है, जिसलिये मैं उसमें से और अधिक अँद्वरण यहां नहीं देना चाहता। हम बुद्धिवादी कहलानेवालोंको यह समझ लेना चाहिये कि हम लोग, जिनकी आज हमारे राज्यमें प्रबलता है, भारतकी गरीब जनताकी दिलसे चिन्ता करते हैं और उसीके

कल्याणका प्रयत्न करते हैं, — जिस बातकी अंक बढ़ी कसौटी शराबबन्दी है। यदि हम शराबबन्दीके पक्षमें हैं, तो ही हमारा दावा प्रामाणिक है, अन्यथा नहीं।

२९-४-५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाभी देसायी

## शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है

[आन्तरराष्ट्रीय मद्यनिषेधक संघके दक्षिणी अशिया विभागके अध्यक्ष श्री रॉबर्ट पियर्सनने २६ अप्रैल, १९५३, रविवारके दिन ऑल इन्डिया रेडियोके बम्बयी स्टेशनसे "शराबकी आमदनीका क्या होगा?" विषय पर जो भाषण किया उसमें से नीचेका भाग यहां दिया जाता है।]

पिछले तीन महीनोंमें मैंने भारतके अधिकतर भागोंका दौरा किया है। जिस यात्रामें मुझे कभी बड़े दिलचस्प लोगोंसे मिलनेका सौभाग्य मिला। स्वभावतः मादक द्रव्य निषेधके महान् अद्देश्यके विषयमें अनूकी प्रतिक्रिया और खास तौर पर शराबबन्दीके विषयमें अनूका रुख जाननेमें मेरी दिलचस्पी रही है। मेरी जिज्ञासाने हरएक स्तरके स्त्री-पुरुषोंसे मेरा सम्पर्क स्थापित कराया। मैंने कॉलेजके प्रोफेसरोंसे बात की, व्यापारी और व्यवसायी लोगोंसे बात की, सफेदपोश बाबुओंसे बात की और मेहनतकश किसानोंसे भी बात की। दक्षिण भारतके हरेभरे धानसे लहलहाते हुए खेतोंसे लेकर आपके अनुपम हिमालयकी हिममंडित चोटियों तक मैंने शराबबन्दीके बारेमें लोगोंमें अंक ही मुख्य प्रश्न बार-बार उठता पाया है: 'शराबबन्दीको अपनासे हमें आमदनीका जो नुकसान हो रहा है या होगा, उसे हम कैसे पूरा करेंगे?'

मैं देखता हूँ कि आज भारतके हर हैसियतके लोगोंके दिमागमें शराबबन्दी और आमदनीके नुकसानका प्रश्न बहुत गहराबीसे जुड़ा हुआ है। शराबबन्दीके प्रश्नके साथ आमदनीके नुकसानका प्रश्न अठे बिना नहीं रहता। अुदाहरणके लिये, मैं शराबबन्दीवाले अंक भागमें कुछ खरीदी कर रहा था। जब क्लार्कने मेरे हाथमें बिल दिया, तो उसने मेरा ध्यान कीमतमें शामिल किये गये टैक्सकी तरफ खींचते हुए कहा: "अगर हम शराबबन्दीके कारण अितना पैसा न गंवाते, तो हमें खरीद-कीमतके साथ ये सब टैक्स नहीं जोड़ने पड़ते।"

अंक दूसरे मौके पर, अभी हालमें, मैं अंक सुशिक्षित सज्जनके साथ, जिन्होंने अंक लेखक और अंक बड़ी युनिवर्सिटीके भूतपूर्व प्रोफेसरके रूपमें अपना परिचय मुझे दिया, रेलयात्रा कर रहा था। हमारी बातचीत जल्दी ही शराब बगैरा नशाले पेयों और शराबबन्दीके प्रश्नकी ओर मुड़ी। अुन्होंने कहा: "भारत जैसे देशके लिये शराबबन्दी बहुत ज्यादा महंगा प्रयोग है। हम अंक स्वतंत्र राष्ट्रके नाते दुनियामें अपना स्थान प्राप्त करनेके प्रयत्नमें लगे हुए हैं। हमारे सामने अपने लोगोंकी हालतको सुधारनेके कभी जरूरी काम पड़े हैं। हमें बड़ी-बड़ी सिंचाईकी योजनाओंका विकास करनेकी जरूरत है, ताकि हम जमीनकी ज्यादा उपजाऊ बनाकर ज्यादा अन्न पैदा कर सकें। हमें अपने अुद्योगोंका विकास करना है। हमें अपने यातायात और डाक-तारकी सुविधायें बढ़ानी और विकसित करनी हैं। हमें आजसे ज्यादा स्कूलों और अस्पतालोंकी जरूरत है। लेकिन अिन सब योजनाओं और कामोंके लिये पैसेकी जरूरत है। अिन राज्योंमें शराबबन्दी है, वे शराबसे होनेवाली करोड़ों रुपयोंकी आमदनी हर साल गंवाते हैं। हम अितनी भारी रकमकी हानि नहीं उठा सकते, जिसकी हमें अपने राष्ट्रीय विकासके लिये बड़ी जरूरत है।"

बार-बार मैंने लोगोंके मुंहसे यही दलील सुनी है। आमदनीका नुकसान आज भारतमें शराबबन्दीके खिलाफ अंक सबसे बड़ा अंतराज है। लेकिन अब हम हकीकतों पर विचार करें। जायज शराबके कारण किसी राष्ट्रके नागरिकोंको जो नुकसान लाजिमी तौर पर होता है, उसके बनिस्बत शराबकी आमद छोड़नेके कारण क्या अुसे ज्यादा नुकसान होता है? दूसरे शब्दोंमें, क्या शराबबन्दीसे होनेवाली आमदनीकी हानि अुस बढ़े-हुअे खर्चसे ज्यादा है, जो किसी राज्यको शराबके कारण बढ़नेवाले गुनाहोंको रोकनेमें और जनकल्याणकी बढ़ी हुअी मांगें पूरी करनेमें अनिवार्य रूपसे करना होगा?

जायज शराब नशाखोरीको बढ़ाती है। और नशाखोरीका मतलब है ज्यादा गुनाह, ज्यादा दुर्घटनायें, ज्यादा घरोंका टूटना, ज्यादा कंगाली और नौजवानोंमें बढ़ा हुआ दुराचार। राज्य अिन समस्याओंकी अुपेक्षा नहीं कर सकता। बढ़े हुअे गुनाहोंका अर्थ है कानूनके अमल और जेलोंकी व्यवस्थाके लिये ज्यादा खर्च। ज्यादा दुर्घटनाओंका अर्थ है अस्पतालोंकी ज्यादा सुविधायें खड़ी करना। ज्यादा ठूटे घरों, नौजवानोंमें बढ़े हुअे पापाचार और ज्यादा कंगालीकी समस्याओंसे निबटनेके लिये राज्यको ज्यादा खर्च करना होगा। अिसे आप कभी न भूलें कि जायज शराबके पीछे ये मांगें तो अनिवार्य रूपसे आयेंगी ही; और दूसरे राष्ट्रोंका अनुभव यह बताता है कि सरकारको जायज शराबके कारण जो खर्च करना पड़ता है, वह शराबसे होनेवाली आमदनीसे कहीं ज्यादा होता है।

\* \* \*

लेकिन शराबके व्यापारके सरकारी आंकड़ों पर अंक नजर डाली जाय, तो मालूम होगा कि तथाकथित आमदनीके आंकड़े कैसे पूर्णतया अधूरे और धोखा देनेवाले हैं। . . .

यह अंक बुनियादी सचाजी है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिये: शराबके व्यापारसे जो सामाजिक बरबादी होती है और अुसके कारण सरकारको जो खर्च करना पड़ता है, अुसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आमदनी बिल्कुल नगण्य है।

अुदाहरणके लिये, मेरे अपने देश अमेरिकाको ही लीजिये। शराबका व्यापार केवल पैसेके रूपमें ही अमरीकी जनता पर प्रतिदिन लगभग ३३,०००,००० डालरका या प्रतिघंटे १४,००,००० डालरका खर्च डालता है! अिन आंकड़ोंको आप ५ से गुणा कर दें, तो आपको रुपयोंके रूपमें अिस भारी खर्चका खयाल आ जायगा। अिसका विचार कीजिये। शराबके व्यापारके लिये अमरीकी जनताको प्रतिदिन १६५ करोड़ रुपये या प्रतिघंटे ७० लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। और हमारा देश नौजवानोंको शराबसे बचाने या प्रौढ़ोंको अुससे बचनेकी चेतावनी देना तो दूर रहा, हर साल शराबके व्यापारसे ३ अरब डालर पैदा करता जाता है और अुसे कानूनन अुन लोगोंकी जेबसे, जिन्हें वह अखबारों, रेडियो और अभी हालके बरसोंमें टेलिविज़न द्वारा शराब खरीदनेकी लुभावनी व भड़कीली अपील करके ठगता है, प्रतिवर्ष ९ या १० अरब डालर हथियानेकी अिजाजत देता है।

मेस्सेच्युसेट्स राज्यकी धारासभाके सामने जो रिपोर्ट पेश की गयी है, अुसमें अंक प्रसिद्ध जजकी अध्यक्षतामें जांच करनेवाली कमेटीने बताया है कि अुनके राज्यको शराब पर कुल ६०,०००,००० (३० करोड़ रुपये) डालरका सीधा खर्च करना पड़ता है, जब कि शराबके अुद्योग पर लगाये गये करोंसे लगभग १३,०००,००० (६ करोड़ ५० लाख रुपये) डालरकी आमदनी होती है। अिस कमेटीने आगे बताया कि अगर शराबके व्यापारके अप्रत्यक्ष

परिणामोंका खयाल करें, तो राज्यका नुकसान भयंकर रूपमें बढ़ जायगा। जिस बातका सबूत है कि आम तौर पर शराब-बुधोग पर लगाये गये करोंसे राज्यको जो आमद होती है, उससे लगभग ६ या ८ गुना खर्च उसे शराबके कारण करना पड़ता है।

जिसी राज्यमें सावधानीसे की गयी जांचोंसे यह पता चला है कि पारिवारिक सम्बन्धोंका फैसला करनेवाली अदालतके सामने जो मामले पेश किये गये, उनमें से ४२ फीसदीका सीधा कारण शराब थी और ४७ फीसदी मामलोंका कारण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपमें माता-पिता या दोनोंके शराबके नशेमें चूर हो जानेसे पैदा हुई परिस्थितियां थीं। बच्चोंको जीवनकी पूरी सुविधायें न मिलने या उनके दुराचारी होनेका यही मुख्य कारण है। जिसी समस्याको हल करनेमें राज्यको बड़ी मात्रामें पैसा खर्च करना पड़ता है।

मेस्सेच्युसेट्स राज्यमें यह भी पाया गया कि मृत्यु या कैदकी सजा दिये जाने लायक ५० फीसदी गुनाहोंका तथा ८५ फीसदी दुराचारों या छोटे गुनाहोंका कारण शराबखोरी है। शराब राज्यमें २५ फीसदी मानसिक रोगियोंके लिये सीधी और कम-से-कम १५ फीसदी और जैसे रोगियोंके लिये अप्रत्यक्ष रूपसे जिम्मेदार है। अपराधियों और मानसिक रोगियोंकी चिन्ता करनेमें राज्यको अनाप-शनाप पैसा खर्च करना पड़ता है। मेरे मित्रों, आप याद रखें कि जायज शराबके लिये देशको भारी खर्च करना पड़ता है। शराबसे होनेवाली एक रुपयेकी आमदनीके पीछे उसे राज्य द्वारा शराबके कारण किया जानेवाला खर्च पूरा करनेके लिये ६ या ८ रुपये देने पड़ते हैं।

शराबसे होनेवाली आमदनीका लाभ निरा भ्रम है; वह रेगिस्तानके मुसाफिरोंका मजाक बुझानेवाले और उन्हें धोखा देनेवाले किसी मृगजलसे भी ज्यादा भयंकर है। आप मेरे ही आर्थिक दृष्टिसे अर्थात् व्यवसायको लें। उसका उत्पादन या उसकी सेवा समाजको सच्चा या प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवाला लाभ पहुंचाती है, जो उसे टिकाये रखता है। उसकी वजहसे लोगोंको जो खाद्य-मदार्थ, कपड़ा, मकान आदि बनानेका सामान मिलता है, वह समाजको होनेवाला स्थायी लाभ है। ये चीजें समाजकी सम्पत्तिमें वृद्धि करती हैं और उसके कल्याणको बढ़ाती हैं। अिन बुधोगोंमें काम करनेवाले लाखों-करोड़ों लोगोंको जो रोजी या वेतन मिलता है, वह अिन चीजोंसे जनकल्याणमें पहुंचनेवाली सहायताका एक भाग ही है। यहां तक कि उसका विज्ञापन भी जानकारी बढ़ानेवाला, बुद्धिको बढ़ानेवाला और रचनात्मक या सर्जक होता है।

लेकिन शराबका व्यापार ऐसा नहीं है। जिस सम्बन्धमें हम काफी हद तक फैले हुए इस विचारको हमेशाके लिये छोड़ दें कि शराबके व्यापारसे या उसके जरिये मिलनेवाले पैसेका आर्थिक दृष्टिसे वही मूल्य है, जो सम्पत्ति पैदा करनेवाले किसी अर्थात् बुधोग पर खर्च किये गये पैसेसे होनेवाली आमदनीका है।

शराब मजदूरोंको जो पैसा या मजदूरी देती है, वह पानेवाले मजदूरोंका पोषण भले करे, लेकिन उससे जनताका कोई कल्याण नहीं होता। अल्टे वह मजदूरी जनता पर पड़नेवाला एक बोझ और जनताके पैसेकी बरबादी है, जिसकी तुलनामें उसे कोई लाभ नहीं होता। अगर हम शराबके नतीजों और बुराबियोंकी अपेक्षा करके पैसा पैदा करनेके लिये शराबके व्यापारको जायज मानें, तब तो हम आजकी दूसरी कभी बुराबियोंको भी जायज करार देकर आमदनी कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी यह

सुझाये कि राष्ट्रीय आय बढ़ानेके लिये चोरी और गबनको कानूनी घोषित करना चाहिये, तो यह कितना हास्यास्पद मालूम होगा! बेशक, ये दोनों सम्पत्तिके अधिकार पर हमला करते हैं, फिर भी वे अपने शिकारोंका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पतन नहीं करते। लेकिन शराबका व्यापार आम तौर पर ऐसा ही करता है।

हम आगे बढ़कर यह भी दिखा सकते हैं कि जिन मजदूरोंको शराब काम देती है, वे अर्थात् और कल्याणकारी उत्पादनके क्षेत्रसे हटा लिये जाते हैं; और उस हद तक शराब स्वास्थ्यकारी चीजोंके बाजारको घटाती है, जिन्हें बनानेके लिये ज्यादा मजदूरोंकी जरूरत होती।

हमने ऊपरसे दिखाओ देनेवाले शराबके जो बुरे परिणाम गिनाने हैं, उनसे कहीं ज्यादा नुकसान राष्ट्रको शराबके कारण होता है। अमेरिकाकी जांचोंसे मालूम होता है कि कारखानोंमें काम करनेवाले जो मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते और समय बरबाद करते हैं, उनमें से कम-से-कम ११ फीसदीकी गैरहाजिरीका मुख्य कारण शराब होती है। अन्दाज लगाया गया है कि जिससे हर साल बुधोगोंको लगभग १ अरब डालरका नुकसान होता है। एक जांचमें जिस बातके आंकड़े दिये गये हैं कि कितने मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटके, जिसमें अुन्होंने कितना समय बरबाद किया और शराब पीनेके कारण अुन्हें कितनी मजदूरी खोनी पड़ी। जिस जांचसे यह अन्दाज लगाया गया था कि शराब पीनेवाले मजदूर जिस तरह जो समय बिगाड़ते हैं और अच्छा काम नहीं करते, उसके कारण अमेरिकाको हर साल लगभग १ अरब डालर खोने पड़ते हैं। शराब पीनेवाले मजदूर और दिनोंमें होनेवाली औसतन दो दुर्घटनाओंके बजाय सोमवारको दुगुनी या तिगुनी दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं। सोमवार ऐसा दिन है, जब मेरे देशमें पियक्कड़ मजदूरों पर नशेकी थोड़ी-बहुत खुमारी बनी रहती है। जिसलिये वे आवश्यक सावधानीसे काम नहीं करते और दुर्घटनाओंके शिकार होते हैं।

शराबके नशेमें मजदूर काम छोड़कर अिधर-अुधर भटकते रहते हैं और अच्छा काम नहीं करते जिससे राष्ट्रको बहुत बड़ा नुकसान होता है।

कौन कहता है कि शराबबन्दीसे आमदनीका नुकसान होगा? राज्यको जायज शराबसे जो आय होती है, उससे कभी गुना ज्यादा उस पर उसे खर्च करना पड़ता है। शराबके व्यापारके कारण राज्यको जो पैसा खर्च करना पड़ता है और समाजकी जो बरबादी होती है, उसकी तुलनामें शराबसे होनेवाली आय नगण्य-सी है। शराबसे होनेवाली तथाकथित आय सिंचाई-योजनाओं और ज्यादा अच्छे स्कूल खोलनेमें खर्च होनेके बजाय उस कभी गुना बढ़े हुए खर्चमें लगेगी, जो गुनाहोंको रोकने और कानूनके अमलमें, मानसिक रोगियोंके दवाखाने चलानेमें और नौजवानोंमें बढ़नेवाले दुराचार और गरीबीकी समस्यायें हल करनेमें होगा। और ये सारी समस्यायें जायज शराबके अनिवार्य परिणाम हैं।

एक बातको आप कभी न भूलें: अनुभवसे पता चलता है कि शराबसे आमदनी होती है यह कहना निरा धोखा है। जायज शराबके कारण सरकारों और व्यक्तियोंको काफी बड़े खर्चमें अुतरना पड़ता है।

(अंग्रेजीसे)

## कार्यसिद्धिके लिये अगला कदम

दो वर्षोंमें पच्चास लाख अकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका जो महान संकल्प अप्रैल १९५२ में सेवापुरीमें हमने किया था, उसे चांडिलमें फिरसे दोहराया ही नहीं, बल्कि प्रतिज्ञा भी की कि आगामी अक सालमें पच्चीस लाख अकड़ जमीन प्राप्त करने मात्रसे हम अपनी कार्यसिद्धि न मानकर १९५७ के पहले पांच करोड़ अकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर समताधिष्ठित तथा शोषणहीन सर्वोदय-समाजके निर्माणके लिये आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे।

गिरिराज हिमाचलकी एक चोटी पर चढ़ जानेके बाद उससे भी ऊंचो दूसरी चोटीके दर्शनका आनंद पर्वतारोहीको प्राप्त होता है और उससे उसका अुत्साह और हौसला अधिक बढ़ जाता है। अप्रैल १९५१ में विनोबाजीको सौ अकड़का पहला दान मिला। सेवापुरीके संमेलन तक लोगोंने अुन्हें अक लाख अकड़ जमीन दान दी थी। सेवापुरीमें सर्वोदय कार्यकर्ताओंने दो वर्षोंमें पच्चीस लाख अकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें प्राप्त करनेका संकल्प किया।

### भूदान-यज्ञ ही प्रधान कार्य

चांडिल संमेलन तक जिस पच्चीस लाखमें से ७-८ लाख अकड़ जमीन मिली। अुत्तर प्रदेशने चार लाख ७५ हजार अकड़ जमीन दानमें प्राप्त कर अपना पांच लाखका संकल्प लगभग पूरा कर दिया। जिस कार्यके लिये लोगोंमें और कार्यकर्ताओंमें दृढ़ श्रद्धा और अबूक दृष्टि निर्माण करनेमें तथा संकल्प पूरा करनेके लिये आवश्यक संघाठन खड़ा करनेमें सेवापुरीके बाद कुछ समय गया। फिर भी अक वर्षमें छोटे-बड़े हजारों जमीन-मालिकोंने ७-८ लाख अकड़ जमीन भूदान-यज्ञमें दी, जिससे सिद्ध होता है कि भूदान-यज्ञको अग्नि जनताके मनमें प्रज्वलित हुआ है और वह अक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। अुसमें जोश और गति लानेके लिये जीवन-निष्ठ कार्यकर्ता ज्यादा-से-ज्यादा तादादमें आगे आये, यह जरूरी है। जिसलिये चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले लोगों और खासकर रचनात्मक कार्यकर्ताओंको आवाहन किया गया है कि वे भूदान-यज्ञके कामको पहला स्थान दें।

### प्रत्यक्ष कामसे प्रचार हो

गत दो वर्षोंसे देशमें भूदान-यज्ञका लगातार प्रचार चल रहा है। प्रचार जितना भी किया जाय कम ही होता है, असा हमेशाका अनुभव है। फिर भी प्रचारमें असा अक अवस्था या समय आता है कि जब प्रत्यक्ष कामसे ही वह अधिक प्रभावशाली बनता है। जिसलिये अब कार्यकर्ताओंको प्रत्यक्ष भूमिदान प्राप्त करनेमें ही अपनी शक्ति और समय देना चाहिये। यह ध्यानमें रखें कि शरीरकी तत्परता, मनकी अकाग्रता और चित्तकी निर्वेदताके त्रिवेणी संगम पर ही महान् संकल्प-सिद्धिकी पवित्रता तथा सार्थकताका लाभ हो सकता है।

### सबका सहयोग लें

आज खेतमें जो फसल खड़ी है, वह सबकी सब जिस वर्ष कट जानी चाहिये। चांडिलके प्रस्ताव द्वारा सर्वोदय-विचारमें श्रद्धा रखनेवाले रचनात्मक कार्यकर्ताओंको तथा नवयुवकोंको संकल्प-सिद्धिके काममें खुदको खपा देनेके लिये खास आवाहन किया गया है। लेकिन हमें अहिंसा और हृदय-परिवर्तन द्वारा काम करना है, जिसलिये जिसमें सब लोगोंका समावेश कर लेनेकी नीति हमें रखनी चाहिये।

### निश्चित कार्यक्षेत्रके हर गांवसे पांच अकड़

भूदान-यज्ञमें आहुति देनेवालोंकी संख्या हजारों तक पहुंच चुकी है और वह बढ़ती रहेगी। ये सब छोटे-बड़े दाता हमारे क्रियाशील कार्यकर्ता ही हैं। प्रादेशिक भूदान-यज्ञ-समितिके संचालकोंको चाहिये

कि वे जिसकी जैसी शक्ति हो, वैसा अुसे अपने क्षेत्रमें काम देनेकी योजना बनावें। कार्यकर्ताका कार्यक्षेत्र निश्चित किया जाय। जिस निश्चित किये गये क्षेत्रके प्रत्येक गांवमें जाकर सर्वोदयका संदेश बताने और सेवापुरीके प्रस्तावमें कहा है, अुसके अनुसार हर गांवसे कम-से-कम पांच अकड़ जमीन प्राप्त करनेका संकल्प प्रत्येक कार्यकर्ताको अपने मनमें करना है। जिस निश्चयसे कार्यकर्ता काम करेंगे, तो अप्रैल १९५४ के पहले पच्चीस लाख अकड़ जमीन प्राप्त करनेका हमारा संकल्प पूरा होगा, असा श्रद्धा हम रख सकते हैं।

शंकरराव देव

## सरकारी विज्ञापन

ता० २८-४-५३ के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अगलेखमें 'प्रेसके विशेषाधिकारों' के प्रश्न पर कुछ बातें कही गयी हैं, जिनकी ओर अक पाठक-मित्रने मेरा ध्यान खींचा है। अुनमें से अक अुस मुद्देकी छूती है, जिसका जिक्र मैंने २५ अप्रैलके 'हरिजन' में छपे अपने 'दो सवाल' नामक लेखमें किया है। अुसमें मैंने सुझाया है कि जिस तरह विज्ञापन देनेवाले व्यक्तिको यह तय करनेका अधिकार होता है कि वह कौनसे अखबारको अपना विज्ञापन दे, अुसी तरह सरकारको भी अक लोकतांत्रिक संस्था होनेके बावजूद यह तय करनेका अधिकार है कि वह कौनसे अखबारको अपने विज्ञापन दे। और अक शर्तके रूपमें मैंने अुसमें जोड़ा है:

"प्रजाहितके दृष्टिके नाते सरकारको अपना यह अधिकार समाजकी सुरक्षितता और अुसकी नीति, विवेक या सुरक्षिकी सर्वसाधारण जरूरतको देखकर आम लोगोंकी भलाजीके लिये बरतना चाहिये। सरकारके और कामोंकी तरह अुसमें भी किसी तरहका अन्याय नहीं होना चाहिये। जिसलिये सरकारी विज्ञापन पाना अखबारोंका अबाधित अधिकार नहीं माना जा सकता। यदि अखबार विनय, विवेक तथा सुरक्षिका स्तर कायम न रखकर गिरने लगे या राज्य और प्रजाकी सुरक्षितताके लिये खतरा पैदा करने लगे, तो अुनके प्रति जैसे प्रजा अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकती है, अुसी तरह सरकार भी कर सकती है; और जहां आवश्यकता हो वहां वह कानूनसे भी काम ले सकती है। जिसका अर्थ यह कि सरकार कड़वी-मीठी टीकाकी तरफ ध्यान न दे। जैसा कि शुरूमें कहा गया है, प्रामाणिक टीकाकी छूट तो रहनी ही चाहिये। लेकिन अखबार यदि सर्वसाधारण सुरक्षि और सज्जनता आदिका भंग करने लगे, तो यह अुनकी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छन्दता ही मानी जानी चाहिये। जिसके खिलाफ राज्य और प्रजा दोनोंको अपनी नाराजी दिखानी ही चाहिये। अखबारोंकी स्वतंत्रता भी अक जिम्मेदारी है, और जिस बातका सदा ध्यान रखना समाज और राज्यका फर्ज है कि अुस स्वतंत्रताका कभी दुसूपयोग न हो।"

'टाइम्स ऑफ इंडिया' अुपरकी शर्तकी अपेक्षा करता है और यह कहकर मेरे सुझावका विरोध करता है कि "विज्ञापन देनेवाली सरकारसे खानगी विज्ञापनदाताकी तुलनाका बिलकुल समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनोंके बीच बुनियादी भेद है। खानगी विज्ञापनदाताका सारा पैसा अुसका अपना होता है, जब कि सरकारी विज्ञापनोंके संबंधमें पैसा जनताका होता है।" अुपर बताये गये अपने लेखमें मैं यह भेद बता चुका हूँ। लेकिन अुससे कोजी खास फर्क पैदा नहीं होता। खानगी विज्ञापनदाता भी जिस अधिकारका मनचाहा अुपयोग नहीं कर सकता। समाजमें व्यक्तियों या संस्था किसीको भी असा अबाधित अधिकार नहीं हो सकता। जिसे

सब को भी स्वीकार करेंगे कि प्रजाके ट्रस्टीके नाते राज्य और उसकी सरकारको जनहितकी जिम्मेदारी निभानी चाहिये। बेशक, सरकार सुराज्यके हितोंको नुकसान पहुंचाये बिना जिस जिम्मेदारीको छोड़ नहीं सकती। यह सरकारका विशेषाधिकार नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। खानगी विज्ञापनदाताकी भी ऐसी ही जिम्मेदारी है, यद्यपि छोटे पैमाने पर। क्योंकि वह अपने पैसेका वैसे निरंकुश मालिक नहीं है, जैसा कि 'टाबिस्स ऑफ बिडिया' उसे मानता है। वह भी अपने पैसेका उपयोग जनताके सामूहिक कल्याणके ट्रस्टीके नाते ही कर सकता है, यद्यपि उसमें उसका छोटा लाभ समाया हुआ है। खानगी हितको सार्वजनिक हितमें सहायक होना चाहिये, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिये। यह प्रतिपादन करना गलत सामाजिक दर्शन या एक खतरनाक सिद्धान्त होगा कि किसी व्यक्तिका पैसा, जमीन-जायदाद और उसकी मानसिक शक्तियां भी केवल उसीकी हैं और उनका मनचाहा उपयोग करनेका उसे हक है। जैसा कि गांधोजीने हमें सिखानेका प्रयत्न किया, समाजमें रहनेवाला मनुष्य समाजका ट्रस्टी है, उसीके भलेके लिये उसका अस्तित्व है; अपनी अपरोक्त चीजोंकी मददसे वह जो कुछ भी करता है, वह सब समाजके कल्याणके लिये होना चाहिये। उसका सारा पैसा-टका, जमीन-जायदाद वगैरा जिस अर्थमें उसीके नहीं है कि वह समाजको हानि पहुंचानेवाले ढंगसे उनका उपयोग कर सकता है। समाजने उसे जिन चीजोंके स्वामित्वका जो अधिकार दिया है, वह एक जिम्मेदारी है, एक ट्रस्ट है। यह सिद्धान्त व्यक्तियों या संस्थाओं सभी पर एकसा लागू होता है। समाजमें किसीको भी असौम या अबाधित अधिकार नहीं हो सकता। बेशक, जनताका पैसा सरकारके हाथमें को भी मेहर-बानोंमें बांटनेकी चीज नहीं है; वह एक जिम्मेदारी है, और जनताके ट्रस्टीके नाते यह देखना राज्यका फर्ज है कि जनतासे वह जो पैसा अिकट्टा करता है उसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो। यह बात को भी नहीं कहता कि उसके उपयोगमें किसी राजनीतिक पार्टिके प्रति पक्षपातकी नीति बरती जाय।

यह भी याद रखना चाहिये कि ऊपर जिस ट्रस्टीशीपके सिद्धान्तकी चर्चा की गयी है, वह प्रेसकी भी लागू होता है। उसे यह समझना चाहिये कि विज्ञापन निकालना उसके लिये केवल लाभका ही काम नहीं है; वह एक जिम्मेदारी है। इसलिये आम लोगोंकी मदद पहुंचाने, शिक्षा देने और सही रास्ता बतानेकी दृष्टिसे प्रेसको अच्छे और बुरे विज्ञापनके बीच भेद करना चाहिये। यह बड़े दुःखकी बात है कि आज प्रेस विज्ञापनके बारेमें जिस दृष्टिसे विचार नहीं करता। हम आशा करें कि प्रेस कमीशन जिस परेशान करनेवाले प्रश्न पर कुछ प्रकाश डालेगा।

अन्तमें सरकारी विज्ञापनोंके बारेमें एक बात और जोड़ दूं। आम तौर पर सरकारी विज्ञापन खानगी व्यापारिक या व्यावसायिक विज्ञापनके ढंगके नहीं होते। उनका रूप लगभग सार्वजनिक घोषणा या सार्वजनिक विज्ञापिका होता है। प्रेस भी ऐसी ही मान कर उन्हें सार्वजनिक समाचारके नाते अपने कालमेंमें अनुकूल स्थान दे सकता है और व्यापारिक लाभकी दृष्टि छोड़ सकता है। प्रेसकी यह दृष्टि सरकारी विज्ञापनसे पैसे कमानेके उस गन्दे खयालको ही पूरी तरह बदल देगी, जो मुझे डर है कि विज्ञापनके सामने सार्वजनिक प्रेसके विशेषाधिकारों और स्वतंत्रताके बारेमें हमारे स्पष्ट विचारको विकृत कर देता है।

२-५-५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाजी देसाजी

## काश्मीरकी राजभाषा

अभी हालमें काश्मीर और जम्मूके मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्लाने यह घोषणा की कि नागरी और अर्दू दोनों लिपियोंमें लिखी जानेवाली अर्दू राज्यकी राजभाषा होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधानमें भारतकी प्रादेशिक भाषाओंके विकास और समृद्धिकी व्यवस्था की गयी है और अर्दू काश्मीरकी प्रादेशिक भाषा है। सारे राज्यके लोग उसे समझते हैं और वह सदियोंसे राज्यकी राजभाषा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दीका भी अचित्त विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली हिन्दी भारतीय संघकी राजभाषा होगी। शायद किसी दृष्टिसे उन्होंने यह घोषणा की कि राजभाषा अर्दू सीधीसादी और आसान होगी और वह नागरी लिपिमें भी लिखी जायगी। गांधीजीने बार-बार हमसे यह कहा है कि अगर संस्कृतसे लदी हुई हिन्दी और अरबी-फारसीसे लदी अर्दूको अितना सादा और आसान बना दिया जाय कि उसे उत्तरके आम लोग समझ सकें, तो भाषासे को भी सम्बन्ध न रखनेवाले कारणों द्वारा पैदा किया हुआ हिन्दी-अर्दूके बीचका अवांछनीय और कृत्रिम भेद मिटने लगेगा और हमें एक आसान भाषा मिल जायगी — भले उसे हम हिन्दी, अर्दू या हिन्दुस्तानी किसी भी नामसे पुकारें। काश्मीरका प्रयोग गांधीजीके जिस विधानको प्रमाणित करनेवाला एक स्वागत योग्य प्रयोग हो सकता है। हर हालतमें यह अच्छी बात है कि काश्मीरमें अर्दूके लिये नागरी लिपिका भी उपयोग होगा। अगर दिल्ली, उत्तरप्रदेश, बिहार वगैरा भी यह तय कर लें कि नागरी या अर्दूमें लिखी जानेवाली हिन्दी जिन प्रदेशोंकी राजभाषा होगी, क्योंकि अर्दू वहांकी एक प्रादेशिक भाषा है, तो भारतके विधानके आदेशानुसार हमारी राष्ट्रभाषाके विकासमें यह एक अमुम्दा चीज होगी। जिस तरह काम किया जाय तो राष्ट्रीय हिन्दीके निर्माण और विकासके लिये हिन्दी और अर्दूकी सारी साहित्यिक और सांस्कृतिक सामग्री अिकट्टी की जा सकेगी — ऐसी राष्ट्रीय हिन्दी, जो उत्तरके आम लोगोंके लिये ज्यादा सादी और आसान होगी और राष्ट्रभाषाके नाते भी जिसे लोग आजसे ज्यादा स्वीकार करेंगे।

२६-४-५३  
(अंग्रेजीसे)

मगनभाजी देसाजी

## राष्ट्रभाषा हिन्दुस्तानी

[दूसरा संस्करण]

लेखक: गांधीजी

अनु० काशिताय त्रिवेदी

कीमत १-८-०

डाकखर्च ०-८-०

नवजीवन कार्यालय, अहमदाबाद-९

विषय-सूची

	पृष्ठ
हमारा अनोखा मिशन - २	विनोबा ७३
आन्ध्र और शराबबंदी	मगनभाजी देसाजी ७६
शराबकी आमदनी मृगजल जैसी है	राँवट पियर्सन ७७
कार्यसिद्धिके लिये अगला कदम	शंकरराव देव ७९
सरकारी विज्ञापन	मगनभाजी देसाजी ७९
काश्मीरकी राजभाषा	मगनभाजी देसाजी ८०